



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 9 दिसम्बर, 2020
अग्रहायण 18, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1372/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(164)-2020
लखनऊ, 9 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-520

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा 10 नवम्बर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

2. यह अधिसूचना तारीख 10 नवम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेंगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1372 / XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(164)-2020 dated December 9, 2020 :

No. 1372 / XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(164)-2020

Dated Lucknow, December 9, 2020

IN exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment), Act, 2020 (U.P. Act no. 5 of 2020) hereinafter referred to as the said Act, the Governor, hereby appoints the 10th day of November, 2020 as the date on which the provisions of section 7 of the said Act shall come into force.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 10th day of November, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-९०पी० 616 राजपत्र-2021-(1231)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-९०पी० 69 सा० राज्य कर-2021-(1232)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।